

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक प.18(4)नविवि/1/2002 पार्ट

जयपुर, दिनांक: 06 JUL 2021

सचिव,
जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।

सचिव,
समस्त नगर विकास न्यास,
राजस्थान।

विषय :- अराजपत्रित कार्मिकों की पेंशन के प्रकरण न्यास स्तर पर निर्धारित कर पेंशन विभाग को भिजवाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि इस विभाग में न्यास/प्राधिकरण कार्यालयों के अराजपत्रित कार्मिकों के पेंशन प्रकरण स्वीकृति/प्रति हस्ताक्षर हेतु Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 के एक्ट 74(I) for determining the conditions under which the officers and servants of the Trust or any of them shall, on retirement, receive pensions or gratuities or compassionate allowances and the amount of such pensions, gratuities and compassionate allowances के क्रम में प्राप्त होते हैं।

राजस्थान अरबन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट रूल्स, 1961 के नियम 144 के अनुसार न्यास कार्यालयों में पदस्थापित सचिव जो सामान्य रूप से राजस्थान प्रशासनिक या भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं जो विभागाध्यक्ष की श्रेणी के हैं। इन नियमों के नियम 149 के अनुसार न्यास में सहायक अभियन्ता के नीचे के पदों के क्रम में Appointment, punishment or dismissal की शक्तियां निहित हैं।

अतः अराजपत्रित कार्मिकों की पेंशन के प्रकरण (जिनका ग्रेड पे 5400 से निम्न है) न्यास स्तर पर ही निस्तारण किये जाने बाबत Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 के एक्ट 74(I) The State govt may make rules Consist with this Act 74 (i) के अनुसार अराजपत्रित कार्मिकों (जिनका ग्रेड पे 5400 से निम्न है) की पेंशन न्यास स्तर पर ही निर्धारित करने तथा पेंशन विभाग को भिजवाने हेतु नियम बनाने की कार्यवाही कर तदनुसार पेंशन प्रकरणों का निस्तारण न्यास स्तर पर ही करवाने का श्रम करें।

भवदीय,

(कुंजीलाल भीणा)
प्रमुख शासन सचिव
नगरीय विकास विभाग